

कुलसचिव  
Registrar



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,  
वाराणसी-2  
दूरभाष- 0542 2221718  
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth  
Varanasi-2  
Tel. No.- 0542 222689

पत्रांक : कु0स0-सम्बद्धता/05/230/2011,

दिनांक: 03 अक्टूबर, 2011  
15

सेवा में,

प्रबन्धक,  
नन्हकू राम महाविद्यालय,  
पड़री खुर्द (पटकागांव) मुड़िलाडीह,  
सोनभद्र।

विषय : स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र एवं इतिहास विषयों की सम्बद्धता की पूर्वानुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उच्च शिक्षा अनुभाग-6 उ0प्र0 शासन के पत्रांक-सम्ब0 300/सत्तर-6-2011-2(130)/2011 दिनांक 11 अगस्त, 2011 द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 की धारा 37(2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को उपरोक्त विषयों की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

1. शैक्षिक सत्र 2010-11 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने एवं सामूहिक नकल में आरोपित नहीं होने की स्थिति में सत्र 2011-12 के सम्बद्धता की शर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थाई) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2011 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्गत किए जाएंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/ 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देशो एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

अतः उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन करने के सम्बन्ध में रू0 50/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही महाविद्यालय के तीन वर्षों का परीक्षाफल तथा सामूहिक नकल का आरोपी न होने का प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे महाविद्यालय में प्रश्नगत पाठ्यक्रम की स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की कार्यवाही की जा सके, अन्यथा शैक्षणिक सत्र 2012-13 में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय,

(एस0एल0मौर्य)

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :-

1. मा0 कुलपति जी-सूचनार्थ।
2. अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. परीक्षा नियन्त्रक, म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
4. सहायक कुलसचिव (समिति) को इस आशय से कि कृपया कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति प्राप्त कर लें।

(एस0एल0मौर्य)

कुलसचिव

कुलसचिव  
Registrar



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,  
वाराणसी-2  
दूरभाष- 0542 2221718  
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth  
Varanasi-2  
Tel. No.- 0542 222689

पत्रांक : कु0स0-सम्बद्धता / 05 231 / 2011,

दिनांक: 03 अक्टूबर, 2011

सेवा में,

प्रबन्धक,  
जे0एस0पी0 महाविद्यालय,  
कसरयाकला,  
सोनभद्र।

15

विषय : स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मध्यकालीन इतिहास, एवं गृहविज्ञान विषयों की सम्बद्धता की पूर्वानुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उच्च शिक्षा अनुभाग-6 उ0प्र0 शासन के पत्रांक संख्या-1927/सत्तर-6-2011-2(359)/2011 दिनांक-14 सितम्बर, 2011 द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 की धारा 37(2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को उपरोक्त विषयों की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिनांक 01.07.2011 से निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/ 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

अतः उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन करने के सम्बन्ध में रू0 50/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें अन्यथा शैक्षणिक सत्र 2012-13 में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय,

(एस0एल0मौर्य)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :-

1. मा0 कुलपति जी-सूचनार्थ।
2. अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. परीक्षा नियन्त्रक, म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
4. सहायक कुलसचिव (समिति) को इस आशय से कि कृपया कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति प्राप्त कर लें।

OK

(एस0एल0मौर्य)  
कुलसचिव

कुलसचिव  
Registrar



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,  
वाराणसी-2  
दूरभाष- 0542 2221718  
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith  
Varanasi-2  
Tel. No.- 0542 222689

पत्रांक : कु0स0-सम्बद्धता / 05/232 / 2011,

दिनांक: 03 अक्टूबर, 2011

सेवा में,

सचिव,  
अवधूत भगवान राम पी0जी0 कालेज,  
अनपरा, सोनभद्र।

विषय : स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की पूर्वानुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उच्च शिक्षा अनुभाग-6 उ0प्र0 शासन के पत्रांक संख्या-सम्ब0 56/सत्तर-6-2011-2(185)/2010 दिनांक-07 जुलाई, 2011 द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 की धारा 37(2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को उपरोक्त पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

1. शैक्षिक सत्र 2010-11 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने एवं सामूहिक नकल में आरोपित नहीं होने की स्थिति में सत्र 2011-12 के सम्बद्धता की सशर्त पूर्वानुमति प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थाई) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2011 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्गत किए जाएंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/ 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

अतः उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन करने के सम्बन्ध में रु0 50/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र एवं परीक्षाफल तथा सामूहिक नकल का आरोपी न होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें, अन्यथा शैक्षणिक सत्र 2012-13 में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय,

(एस0एल0मौर्य)

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :-

1. मा0 कुलपति जी-सूचनार्थ।
2. अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. परीक्षा नियन्त्रक, म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
4. सहायक कुलसचिव (समिति) को इस आशय से कि कृपया कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति प्राप्त कर लें।

(एस0एल0मौर्य)

कुलसचिव



पत्रांक : कु0स0-सम्बद्धता / 05 / 283 / 2011,

दिनांक: 03 अक्टूबर, 2011

सेवा में,

प्रबन्धक,  
हरिश्चन्द्र महाविद्यालय,  
गौरा सिंगा (कचनरवा),  
सोनभद्र।

विषय : स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, एवं प्राचीन इतिहास विषयों की सम्बद्धता की पूर्वानुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उच्च शिक्षा अनुभाग-6 उ0प्र0 शासन के पत्रांक संख्या-सम्ब0 299/सत्तर-6-2011-2(104)/2011 दिनांक 04 अगस्त, 2011 द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 की धारा 37(2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को उपरोक्त विषयों की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिनांक 01.07.2011 से आगामी तीन वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र 'बी' में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राध्यापकों की नियमानुसार नियुक्ति कर उन पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
5. महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियां आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।

अतः उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन करने के सम्बन्ध में रु0 50/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें। प्रश्नगत पाठ्यक्रमों में अध्यापकों की नियुक्ति करते हुए बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान सुनिश्चित करते हुए सूचित करने का कष्ट करें जिससे महाविद्यालय में प्रश्नगत पाठ्यक्रम के कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान की जा सकें, अन्यथा शैक्षणिक सत्र 2012-13 में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

भवदीय,

(एस0एल0मौर्य)

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :-

1. मा0 कुलपति जी-सूचनार्थ।
2. अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. परीक्षा नियन्त्रक, मा0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
4. सहायक कुलसचिव (समिति) को इस आशय से कि कृपया कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति प्राप्त कर लें।

(एस0एल0मौर्य)

कुलसचिव

कुलसचिव  
Registrar



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,  
वाराणसी-2  
दूरभाष- 0542 2221718  
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth  
Varanasi-2  
Tel. No.- 0542 222689

पत्रांक : कु0स0-सम्बद्धता/05/234/2011,

दिनांक: 23 अक्टूबर, 2011

15

सेवा में,

सचिव,  
अवधूत भगवान राम पी0जी0 कालेज,  
अनपरा, सोनभद्र।

विषय : स्नातक स्तर पर बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता की पूर्वानुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उच्च शिक्षा अनुभाग-6 उ0प्र0 शासन के पत्रांक संख्या-सम्ब0 298/सत्तर-6-2011-2(274)/2008 दिनांक-02 अगस्त, 2011 द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 की धारा 37(2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को उपरोक्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

1. शैक्षिक सत्र 2010-11 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने एवं सामूहिक नकल में आरोपित नहीं होने की स्थिति में सत्र 2011-12 के सम्बद्धता की सशर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थाई) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2011 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्गत किए जाएंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/ 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

अतः उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन करने के सम्बन्ध में रू0 50/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही महाविद्यालय के तीन वर्षों का परीक्षाफल तथा सामूहिक नकल का आरोपी न होने का प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे महाविद्यालय में प्रश्नगत पाठ्यक्रम की स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की कार्यवाही की जा सकें, अन्यथा शैक्षणिक सत्र 2012-13 में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय,

(एस0एल0मौर्य)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :-

1. मा0 कुलपति जी-सूचनार्थ।
2. अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. परीक्षा नियन्त्रक, मा0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
4. सहायक कुलसचिव (समिति) को इस आशय से कि कृपया कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करते हु, स्वीकृति प्राप्त कर लें।

(एस0एल0मौर्य)  
कुलसचिव

OLC

क



पत्रांक : कु0स0-सम्बद्धता / 05 / 235 / 2011,

दिनांक: 03 अक्टूबर, 2011  
15

सेवा में,

प्रबन्धक,

जय माँ भगवती सोनांचल स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
पुसौली, राबर्ट्सगंज,  
सोनमद्र ।

विषय : स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत गृहविज्ञान एवं संस्कृत अतिरिक्त विषयों की सम्बद्धता की पूर्वानुमति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उच्च शिक्षा अनुभाग-6 उ0प्र0 शासन के पत्रांक-सम्ब0 301/सत्तर-6-2011-2(154)/2010 दिनांक 29 जुलाई, 2011 द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 की धारा 37(2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को उपरोक्त विषयों की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिनांक 01.07.2011 से निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की गई है ।

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/ 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी ।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी ।

अतः उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन करने के सम्बन्ध में रू0 50/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें अन्यथा शैक्षणिक सत्र 2012-13 में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा ।

भवदीय,

(एस0एल0मौर्य)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :-

1. मा0 कुलपति जी-सूचनार्थ ।
2. अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
3. परीक्षा नियन्त्रक, मा0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी ।
4. सहायक कुलसचिव (समिति) को इस आशय से कि कृपया कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति प्राप्त कर लें ।

(एस0एल0मौर्य)  
कुलसचिव